राजस्थान सरकार

निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग राज0, जयपुर

नेहरु सहकार भवन, 219–220, द्वितिय तल, बाईस गोदाम पुलिया, जयपुर

30

30

कमांक : 366

दिनांक 23.5.2011

अल्पसंख्यक कल्याण योजनान्तर्गत अनुप्रति योजना संचालन नियम–2011

अनुप्रति योजना (प्रथम भाग)

राजस्थान मूल के अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियो के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने हेतु राज्य सरकार निम्न प्रकार से नियम बनाती है :–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रभावित क्षेत्र :–

i यह नियम अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभा सामर्थ्य नियम 2011 कहलायेंगे।

ii यह नियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होंगे।

iii यह नियम अप्रेल, 2011 से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएँ :–

i राज्य सरकार, से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।

ii विभाग, से तात्पर्य अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान सरकार से है।

iii प्रमुख शासन सचिव, से तात्पर्य प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान से है।

iv निदेशक, से तात्पर्य निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान से है।

v अभ्यार्थी से तात्पर्य, वह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध) का व्यक्ति जो संघ लोक सेवा आयोग की भारतीय सिविल सेवा परीक्षा या राजस्थान लोक सेवा आयोग की राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है,से है।

vi मूल निवासी से तात्पर्य वह अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध) का अभ्यार्थी है जिसका जन्म राजस्थान राज्य में हुआ हो या राज्य में 15 वर्षो से लगातार रह रहा हो तथा अभ्यार्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र हो।

vii. जिलाधिकारियो से तात्पर्य जिले में पदस्थापित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग से है।

viii. प्रभारी अधिकारी से तात्पर्य निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग स्तर पर योजना की कार्यवाही देख रहे अधिकारी से है।

ix संघ लोक सेवा आयोग से तात्पर्य अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा आयोजित कराने वाले आयोग से हैं।

x राजस्थान लोक सेवा आयोग से तात्पर्य राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराने वाले आयोग से हैं।

3. अनुदान सहायता :–

(अ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा हेतुः–

संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यार्थियों को निम्न प्रकार से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जायेगी।

(1) प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	रूपये 65,000
(2) मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	रूपये 30,000
(3) साक्षात्कार में उत्तीर्ण (अन्तिम रूप से चयन) होने पर	रुपये 5,000

अभ्यार्थी को प्रार्थना पत्र के साथ इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, कि वह इस राशि का उपयोग सिविल सेवा मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु ही करेगा। अभ्यार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

(ब) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतुः–

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यार्थियो को निम्न प्रकार से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जायेगी।

(1) प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने परः–	रूपये 25,000
(2) मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने परः–	रूपये 20,000
(3) साक्षत्कार में उर्त्तीण (अन्तिम रूप से चयन) होने पर	रुपये 5,000

अभ्यार्थी को प्रार्थना पत्र के साथ इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह इस राशि का उपयोग राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु ही करेगा। अभ्यार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

4. अनुदान की पात्रता :–

i यह राशि उन सफल अभ्यार्थियों को स्वीकृत की जायेगी जिनके माता–पिता/ अभिभावकों की वार्षिक आय (अभ्यार्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) 2.00 लाख रुपये से अधिक न हो।(आय प्रमाण–पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा जारी किया गया हो जो अधिकतम 6 माह से अधिक पुराना नहीं हो)

ii अल्पसंख्यक वर्ग समुदाय के अभ्यार्थियों को उपरोक्तानुसार परीक्षाओं के उत्तीर्ण होने पर प्रथम एवं द्वितीय बार सफलता प्राप्त करने पर उल्लेखित राशि की 100 प्रतिशत राशि देय होगी। तृतीय बार 50 प्रतिशत राशि ही देय होगी। उसके बाद कोई सहायता नहीं दी जायेगी।

iii यदि अभ्यार्थी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा व राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में एक ही वित्तीय वर्ष में दोनों परीक्षाओं में उतीर्ण होता है तो उसे एक ही योजना के अन्तर्गत लाभ दिया जायेगा। यह अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प पर निर्भर करेगा की व किस योजना के तहत लाभ लेना चाहता है।

iv जो अभ्यार्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें इस योजना में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा(सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए लाभ नहीं दिया जायेगा।

5. अनुदान स्वीकृति की शर्तें :–

उपरोक्त राशि के लिये निम्न बिन्दुओं की पूर्ति करने पर अभ्यार्थी द्वारा सम्बन्धित जिले, जहाँ का अभ्यार्थी रहने वाला है, के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, को आवेदन पत्र दिया जावेगा। जिलाधिकारी द्वारा योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रविष्टियों हेतु एक पंजिका का संधारण किया जायेगा। पात्रता की जॉच के उपरान्त सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी की जावेगी :–

i प्रार्थी अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी , बौद्ध) का सदस्य हो।
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।)

ii प्रार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी)

iii अभ्यार्थी द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा, प्रधान (मुख्य) परीक्षा उत्तीर्ण होने का एवं साक्षात्कार के बाद अन्तिम चयन होने का प्रमाण पत्र पेश करना होगा।

iv अभ्यार्थी के माता–पिता/अभिभावक की अधिकतम आय (अभ्यार्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) 2.00 लाख रुपये वार्षिक से अधिक न हो (आय प्रमाण–पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार/राजकीय सेवा में होने पर सम्बन्धित विभाग के कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया गया हो जो अधिकतम 6 माह से पुराना नहीं हो)

v अभ्यार्थी को एक शपथ–पत्र देना होगा कि उसने यह राशि चालू वित्तीय वर्ष में पूर्व में प्राप्त नहीं की है, तथा यह उल्लेख करना होगा कि उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने का यह उसका कौनसा (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) प्रयास है। शपथ–पत्र में राजकीय सेवा में होने अथवा नहीं होने का विवरण भी देना होगा।

vi यदि प्रार्थना पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य पाया जाता हैं, तो योजनान्तर्गत स्वीकृत समस्त सहायता राशि एक मुश्त मय ब्याज के जमा कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यार्थी का होगा।

6. आवेदन की समय सीमा:–

योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों को समयबद्ध तरीके से निस्तारण हेतु निम्नानुसार समय सीमा में अभ्यार्थी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा :–

i प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के दिनांक से तीस दिन तक अभ्यार्थी द्वारा मूल आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। वर्ष 2011 में प्रथम बार योजना लागू होने के कारण यह अवधि 30 जून 2011 तक बढाई जाती है ।

ii मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होने के दिनांक से तीस दिन तक अभ्यार्थी द्वितीय किश्त हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा।

iii साक्षात्कार का परिणाम घोषित होने के दिनांक से तीस दिन तक तृतीय/अन्तिम किश्त हेतु अभ्यार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा।

निर्धारित समय सीमा के पश्चात् आवेदन करने पर शिथिलता निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग के स्तर पर ही दी जा सकेगी।

जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में प्राप्त आवेदन पत्रों का एक माह में निस्तारण किया जायेगा।

7 .योजना की मोनिटरिंग एवं बजट आवंटन :–

अल्पसंख्यक योजनान्तर्गत अनुप्रति योजना के क्रियान्वयन, मोनिटरिंग प्रभारी अधिकारी एवं जिलाधिकारियों को बजट आवंटन की कार्यवाही विभाग के लेखाधिकारी द्वारा की जायेगी।

8. नियमों का विनिर्णय :–

इन नियमों की व्याख्या प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा की जावेगी, वही अन्तिम एवं बाध्यकारी मानी जावेगी, किसी भी विवाद में प्रमुख शासन सचिव का निर्णय अन्तिम होगा।

प्रमुख शासन सचिव,
अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं वक्फ

अनुप्रति योजना (दूसरा भाग)

बजट घोषण वर्ष 2011 के अनुसरण में अनुप्रति योजना को विभाग में आरम्भ किया गया है। योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यार्थियो को IITs, IIMs एवं राष्ट्रीय स्तर के मेडीकल कॉलेजों इत्यादि शीर्ष शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु प्ररित करने हेतु भी प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु 'संशेधित अनुप्रति योजना संचालन नियम, 2008' बनाये गये है। नियमानुसार अभ्यार्थियों को संस्थान में प्रवेश के पश्चात निम्न प्रकार से प्रोत्साहन राशि देय होगी:–

संस्थान का नाम

देय अनुदान की राशि

IITs

प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यार्थी को देय अनुदान की राशि 50,000 रूपये

IIMs

(1) Commom Admission Test (CAT) में उर्त्तीण होने पर अभ्यार्थी को Group Discussion तथा Interview की तैयारी हेतु देय राशि 25,000 रूपये

(2) Group Discussion तथा Personal Interview सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत देय अनुदान की राशि 25,000 रूपये

AIIMs

प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यार्थी को देय अनुदान की राशि 50,000 रूपये

Indian Institute of Science, Bangalore

प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यार्थी को देय अनुदान की राशि 50,000 रूपये

Indian Institute of Science and Applied Resdearch, Kolkata and Bangalore

प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यार्थी को देय अनुदान की राशि 50,000 रूपये

GOI/ Medical Council of India के द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के अन्य Medical Colleges

(1) प्रथम चरण की प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यार्थी को देय अनुदान की राशि 20,000 रूपये

(1) मुख्य प्रवेश परीक्षा में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यार्थी को देय अनुदान की राशि 20,000 रूपये

All India Council for Technical Education के द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर के अन्य (NITs)

केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित National Law Universities

Common Law Admission Test (CLAT) में सफल होने तथा संस्थान में प्रवेश लेने के उपरांत अभ्यार्थी को देय अनुदान की राशि 40,000 रूपये

अनुप्रति योजना (तीसरा भाग)

राजस्थान मूल के अल्पसंख्यक समुदाय के 10+2 स्कीम के अंतर्गत 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उर्त्तीण अभ्यार्थियों को राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज एवं मेडीकल कॉलेजों में प्रवेश हेतु प्रेरित करने के लिये भी प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

नियमानुसार अभ्यार्थियों को उन शिक्षण संस्थानों में, जो राज्य सरकार के है तथा सरकारी क्षेत्र में इंजीनियरिंग एवं मेडीकल की शिक्षा प्राप्त करवाते है अर्थात पूर्णतः राजस्थान सरकार के कॉलेज में प्रवेश लेने का प्रमाण पत्र पस्तुत किये जाने पर 10,000 रूपये प्रोत्साहन राशि दी जांती है।